प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.01.2024) दिनांक-29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी, बड़ा बाजार चौराहा, कस्बा व थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झांसी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सचिन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा श्रीमती अटलेश नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-39/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, झॉसी के आदेश दिनांक 06.03.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। सत्र परीक्षण संख्या-78/2003, धारा-3 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, थाना-प्रेमनगर, जिला-झॉसी में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, झॉसी के आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा 07 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.07.2023 तक 14 वर्ष 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.10.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी कम आयु का होने, बंदी द्वारा किये गये कृत्य एवं अपराध के पुनः कारित होने की सम्भावना को देखते हुए समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखना समीचीन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सचिन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा श्रीमती अटलेश नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी (बंदी संख्या-16996) पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-150/2025/246(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-150/2025/246/22-2-2024-17(198)/2024

दिनांक 21 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी, बड़ा बाजार चौराहा, कस्बा व थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झांसी का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सचिन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा श्रीमती अटलेश नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-39/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, झॉसी के आदेश दिनांक 06.03.2010 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.03.2014 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। सत्र परीक्षण संख्या-78/2003, धारा-3 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, थाना-प्रेमनगर, जिला-झॉसी में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-05, झॉसी के आदेश दिनांक 27.10.2016 द्वारा 07 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.07.2023 तक 14 वर्ष 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.10.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी कम आयु का होने, बंदी द्वारा किये गये कृत्य एवं अपराध के पुनः कारित होने की सम्भावना को देखते हुए समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखना समीचीन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.2003 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर सचिन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा श्रीमती अटलेश नामक महिला को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीश द्विवेदी पुत्र श्री अशोक कुमार द्विवेदी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in